जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

Ref NO:– BRLPS/Proj-IBCB/1042/16/VOL-II/4815 Date – 12.01.2022

कार्यालय आदेश

सामुदायिक संगठनों की बैठक सुचारु रूप से सुनिश्चित करने हेतु

कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से बिहार सहित देश के अनेक राज्य प्रभावित हैं। समुदाय तक विभिन्न लाभों को पहुंचाने के लिए सामुदायिक संगठनों की बैठक और पारस्परिक व्यवहार महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से क्रमबद्ध तरीके से इसे नियमित किया जाना उचित है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों से समुदाय को लाभान्वित करने का प्रयास हो सके। वर्तमान स्थिति (COVID 19) के सामान्य होने तक, सामुदायिक संस्थाओं को COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन के साथ अपनी कार्य पद्धतियों और प्रोटोकॉल में से कुछ को परिवर्तित करना होगा जो निम्नलिखित रूप मे वर्णित है:

1. **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों के लिए अपेक्षित आचरण जिसका अनुपालन वांछनीय होगा-**

क. सामाजिक दूरी का अनुपालन: COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक संस्थाओं के बैठकों के आयोजन के लिए सदस्यों द्वारा एक ऐसे खुले स्थल का चयन किया जाए, जहाँ उपयुक्त सामाजिक दूरी बनाते हुए बैठकों का आयोजन किया जा सके।

ख. बैठक में भाग लेने के लिए आते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहन कर आने वाली सदस्य को बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए और सम्बंधित सदस्यों को उपयुक्त व्यवहार पालन के लिये प्रेरित किया जाए।

ग. गर्भवती, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मां, 50 वर्ष से अधिक उम्र की तथा बीमार महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दिया जाए।

घ. प्रत्येक बैठक-स्थल में साबुन, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे बैठक के पूर्व सहभागी,अपने हाथ अच्छी तरह धो सकें। इनकी खरीद, सामुदायिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा अपने सामुदायिक संस्था की निधि से किया जा सकता है तथा इस खर्च को प्रशासनिक मद में प्रविष्ट किया जा सकता है।

ङ. बैठक में COVID-19 से बचाव के उपाय एवं इसके टीकाकरण के महत्व सम्बन्धी जागरूकता पर अनिवार्यतः चर्चा होनी चाहिए।

2. **सामुदायिक संस्थाओं की बैठक :**

A. स्वयं सहायता समूह की बैठक तत्काल, पाक्षिक रूप से (15 दिनों पर) आयोजित किया जा सकता है। स्थिति सर्वथा सामान्य होने पर स्वयं सहायता समूह अपनी साप्ताहिक बैठक का अपेक्षित निर्णय ले सकते हैं।

B. समूह की बैठक में पदाधिकारी सहित सभी स्वस्थ्य सदस्य व्यावहारिक तथ्यों का पालन करते हुए भाग लेंगे।

C. ग्राम संगठन (VO) की बैठक में प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि के साथ एक बार मासिक बैठक की जाएगी।

D. CLF/ TLC की बैठक मासिक अन्तराल पर होगी। प्रारम्भ में, बैठकों में निदेशक मंडल के सदस्य ही भाग लेंगे। स्थिति सामान्य होने पर, VO/CLF/TLC द्वारा प्रतिनिधि निकाय की बैठक सम्बंधित सामुदायिक संस्थाओं के एक प्रतिनिधि के साथ नियमानुसार संचालित की जाएगी। स्थिति की सर्वथा अनुकूलता होने पर सामुदायिक संस्थाएं पूर्ववत अपने क्रियाकलाप के सम्बन्ध में बैठक कर निर्णय ले सकते हैं।

E. सामुदायिक संस्थाओं (SHG/VO/CLF/TLC) के बैठक में उपस्थित होने वाली सदस्य महिलाएँ एवं कैडर द्वारा COVID-19 के अपेक्षित वांछनीय व्यवहार (सामाजिक दूरी, मास्क लगाना, हैण्ड सैनिटाईजर,टीकाकरण आदि) का अनुपालन अनिवार्य होगा।

F. इस अवधि में आयोजित होने वाली ग्राम संगठनों के बैठक में सम्बंधित CC/AC तथा संकुल स्तरीय संगठनों की बैठक में सम्बंधित AC अथवा BPM की उपस्थिति अपेक्षित होगा।

G. संकुल स्तरीय संघ (CLF) कार्यालय का नियमित संचालन किया जाएगा। सम्बद्ध संकुल संघ से जुड़े कैडर, जैसे संकुल संघ लेखापाल और क्लस्टर फैसिलिटेटर उक्त कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। संकुल संघ के पदधारकों (अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव) में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति प्रतिदिन रहेगी। संबंधित पदधारी अपने क्रम का निर्धारण विचार विमर्श कर सुनिश्चित करेंगे।

H. सभी लेन-देन, वित्तीय कार्य, वित्तीय निर्णय निदेशक मंडल की बैठक में लिए जायेंगे एवं सभी चेक निदेशक मंडल की बैठक में हस्ताक्षरित किये जायेंगे। आकस्मिकता की स्थिति में या दो बैठकों के मध्य किसी अनिवार्य स्थिति में आवश्यकतानुसार सम्बंधित पदाधिकारी को बुलाया जा सकता है।

I. कार्यक्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यकलापों की समीक्षा हेतु संकुल संघ के स्तर पर कैडर की बैठक सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए 2 से 3 चरणों में किया जा सकता है।

J. लेखांकन को अद्यतन करना, ऋण वापसी, बचत खाता को खोलना, RF/ ICF/ FSF/ HRF के भुगतान, मास्क-उत्पादन, COVID टीकाकरण,सतत जीविकोपार्जन योजना,रसोई-बागवानी, प्रवासियों/ छूटे हुए परिवारों का समायोजन, वर्तमान SHG एवं नवनिर्मित SHG का अद्यतन विवरणी तैयार करना आवश्यक होगा।

K. नगद भुगतान प्रक्रिया को यथासंभव हतोत्साहित किया जाएगा। अत्यंत अनिवार्य रहने पर नगद भुगतान सदस्यों की सहमति से किया जाएगा।

3. सामुदायिक संगठक (कैडर) के मानदेय का भुगतान:

कैडर संबद्ध सामुदायिक संस्थाओं को किये गए कार्यों की सूची समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर कैडर का मानदेय भुगतान किया जाएगा। स्थिति सामान्य होने पर कैडर के मानदेय का भुगतान पूर्व निर्धारित मानकों के साथ किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जीविका के आदेशानुसार

12.01.2022

(मुकेश चन्द्र शरण)
परियोजना समन्वयक-वित्तीय समावेशन

प्रतिलिपि:

1. All DPMs/FMs/All Thematic Managers/TOs/BPMs
2. All PCs/SPMs/SFMs/PMs/AFMs
3. OSD/Director/CFO/AO/PS/PO
4. IT Section
5. Concerned file